FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0026 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/02/2024 15:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/12/2023 **Date To (दिनांक तक):** 13/12/2023

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:20 बजे **Time To (समय तक):** 12:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/02/2024 **Time (समय):** 13:10 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/02/2024 15:10:32 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 1 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Police Station Kotwali Bundi

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Ramchran Shrngi

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Mhanand Shruni

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1967 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Gurunanak Colony, Near Goyal Water Suplayer, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Gurunanak Colony, Near Goyal Water Suplayer, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9414986504

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Sube Singh The then HC 772 Police Station Kotwali Bundi		पिता:Mahipal Yadav	1. Manpura post kalajri,Khetari,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 06.12.2023 को समय 01.20 पी.एम. पर परिवादी श्री रामचरण श्रृंगी पुत्र स्व. श्री महानन्द जी श्रृंगी उम्र 57 साल जाति ब्राहमण निवासी गोयल वाटर सप्लायर के पास गुरूनानक कोलोनी जिला बूंदी ने उपस्थित ब्यूरो कार्यालय होकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को एक स्व-हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि- थाना कोतवाली में दर्ज एफ.आई.आर/मुकदमा नं. 241/2023 में एक सरकारी शिक्षक लिखा होने से मुझ प्रार्थी को विगत 03 माह से थाना कोतवाली में कार्यरत जांच अधिकारी का रीडर श्री सुबे सिंह पुलिसकर्मी द्वारा मुझे बार बार थाने में बुलाकर डराया धमकाया गया तथा मेरी गिरफ्तारी का डर बताकर मुझे उसके द्वारा अति मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता रहा है तथा मेरा इस प्रकरण से सम्बन्ध हटाने की एवज में 25000/-पच्चीस हजार रूपये अक्षरे पच्चीस हजार रूपये की राशि पहले ही ले चुका है तथा अब मुझे बेकसूर निर्दोष होने का प्रमाण पत्र देने हेतु मुझसे 10,000/-रूपये मांगे जाने के लिए वह मुझे बार-बार या कभी भी फोन कर सकता है। जबकि मैं चाहता हू ँ कि उक्त पुलिसकर्मी श्री सुबे सिंह रिश्वत के रूप में राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार हो।
अतः श्रीमान से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी श्री सुबे सिंह को रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने की कृपा करें। उक्त पुलिसकर्मी सुबेसिंह से मेरी किसी प्रकार की व्यक्तिगत रंजिश नही है और ना ही किसी भी तरह का पुराना लेनदेन बकाया है। परिवादी ने पूछताछ पर बताया कि मुझे थाना कोतवाली बून्दी पर दर्ज प्रकरण संख्या 241/23 में जांच अधिकारी के रीडर सुबे सिंह द्वारा मुलजिम बनाने की धमकी देकर काफी प्रताड़ित किया गया एवं मेरे घर पर जाकर मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। जबकि मेरा उक्त प्रकरण में कोई लेना देना नही है। कुछ दिन पहले मुझे सुबे सिंह द्वारा थाना कोतवाली बून्दी बुलाया गया एवं कोतवाली के पीछे के रोड़ से पुलिस लाईन बून्दी के एटीएम पर ले जाकर मुझसे पच्चीस हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त कर लिये एवं इसके बाद भी दस हजार रूपये और रिश्वत की मांग कर रहा है।परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं पूछताछ से मामला आरोपी द्वारा परिवादी से थाना कोतवाली बून्दी पर दर्ज प्रकरण संख्या 241/23 में अभियुक्त नही बनाने की एवज में रिश्वत की मांग का होना पाया जाने से शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर श्री रामसिंह कानि 78 एसीबी चैकी बून्दी से डिजीटल वा ॅईस रिकार्डर मंगवाकर परिवादी को डिजिटल वा ॅईस रिकार्डर को चालु व बन्द करने की विधि समझाई गई। मन् उप अधीक्षक ने परिवादी का परिचय चैकी पर पदस्थापित श्री राम सिंह कानि. 78 से करवाया एवं दोनों के मोबाईल नम्बर एक दूसरे को आदान-प्रदान करवाये गये। परिवादी ने बताया कि सुबे सिंह मुझे स्वंय फोन करके थाने पर बुलाता है। जब भी सुबे सिंह मुझे फोन करके बुलायेगा मैं आपको सुचित कर दुंगा। परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से रूखस्त किया गया। दिनांक 08.12.2023 समय 03.06 पी.एम. पर परिवादी श्री रामचरण श्रृंगी ने चैकी पर उपस्थित श्री राम सिंह कानि. 78 के मोबाईल नं. पर फोन कर बताया कि आज वह सुबे सिंह पुलिसकर्मी से रिश्वत मांग सम्बन्धी सत्यापन हेतु कोतवाली थाने पर जायेगा। श्री रामसिंह कानि. 78 द्वारा उक्त तथ्यों से मुझ उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया। तत्पश्चात मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर श्री रामसिंह कानि. 78 को सुपुर्द कर परिवादी रामचरण श्रृंगी से उसके मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 08.12.2023 को समय 03.45 पी.एम पर श्री राम सिंह कानि. 78 ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया तथा मन् उप अधीक्षक को डिजिटल वा ॅईस रिकार्डर पेश कर बताया कि '' निर्देशानुसार मैं समय 03.15 पी.एम. पर डिजिटल वा ॅईस रिकार्डर लेकर परिवादी से उसके मोबाईल पर हुई वार्ता के अनुसार का ॅलेज सर्किल बून्दी पहु ॅचा, जहां पर परिवादी रामचरण श्रृंगी मोटर साईकिल सहित उपस्थित मिला। डिजिटिल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी रामचरण श्रृंगी को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु थाना कोतवाली रवाना किया गया। मैं थाना कोतवाली बून्दी से कुछ दूरी पर का ॅलेज सर्किल के पास परिवादी के वापस आने के इंतजार में मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी का ॅलेज सर्किल पर उपस्थित आया। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने मुझ कानि को बताया कि वह थाना कोतवाली पहु ॅचा जहा ॅ पर सुबे सिंह ने मुझसे कहा कि काम होने पर मैं अपने आप ही तुझे बुला लुंगा। इसके बाद मैं वापस आ गया। मैनें उससे ज्यादा बातचीत नही कि क्योकिं उसे शक हो जाता। परिवादी ने कहा कि मुझे स्कूल में आवश्यक कार्य है। जिस पर परिवादी को वही से आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया। मैं रवाना होकर चैकी हाजा आया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में

रिकार्ड वार्ता को चला कर सुना गया तो श्री राम सिंह कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया एवं कथित आरोपी द्वारा परिवादी को बाद में बुलाने के तथ्यों का उल्लेख रिकार्ड वार्ता में होना पाया गया। डिजिटिल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया।तत्पश्चात दिनांक 13.12.2023 को समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री रामचरण श्रृंगी ने चैकी पर उपस्थित श्री राम सिंह कानि. 78 के मोबाईल नं. पर फोन कर बताया कि सुबे सिंह पुलिसकर्मी मुझे बार-बार फोन करके थाना कोतवाली बुला रहा है और वह आज मुझसे प्रकरण से मेरा नाम हटाने की एवज में रिश्वत की मांग सम्बन्धी वार्ता करेगा। श्री रामसिंह कानि. 78 द्वारा उक्त तथ्यों से मुझ उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराने के पश्चात मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर श्री रामसिंह कानि. 78 को सुपुर्द कर परिवादी रामचरण श्रृंगी से उसके मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर रिष्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश देकर रवाना किया गया।दिनांक 13.12.2023 को समय 12.30 पी.एम. पर श्री राम सिंह कानि. 78 मय परिवादी के ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया तथा मन् उप अधीक्षक को डिजिटल वाॅईस रिकार्डर पेश कर बताया कि “ निर्देशानुसार मैं चैकी से रवाना होकर काॅलेज सर्किल बून्दी पर पहुॅचा जहाॅ पर परिवादी रामचरण श्रृंगी मोटर साईकिल सहित उपस्थित मिला। डिजिटिल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी रामचरण श्रृंगी को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु थाना कोतवाली रवाना किया गया। मैं काॅलेज सर्किल के आस-पास परिवादी के वापस आने के इंतजार में मुकिम रहा। करीब 12.15 पी.एम के आसपास परिवादी काॅलेज सर्किल पर मेरे पास आया। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर उसे बंद कर सुरक्षित रखा गया। मैं परिवादी सहित रवाना होकर चैकी हाजा आया। परिवादी से पूछताछ पर मन् उप अधीक्षक को बताया कि मैं काॅलेज सर्किल से रवाना होकर चालू डिजिटल वाईस रिकार्डर सहित थाना कोतवाली बून्दी गया। जहाॅ पर जांच अधिकारी का रीडर श्री सुबे सिंह मौजूद मिला। जो मुझे बातचीत करते हुये थाना कोतवाली के बाहर गन्ने के जूस की दुकान पर ले गया। जहाॅ पर और भी व्यक्ति मौजूद थे। जूस पीने के बाद मुझे कोतवाली थाने के अन्दर ले गया तथा मुझसे कहा कि मुकदमें से तेरा नाम हटा दिया है। अब तुझे अदालत नही जाना पडेगा। इसके बाद रिश्वत की बातचीत हुई। वार्ता के दौरान श्री सुबे सिंह ने मुझसे दस हजार रूपये और रिश्वत की मांग की तथा कहा कि मैं जब भी आउंगा फोन करके बता दूंगा। वह आज ही मेरे पास रिश्वत लेने आयेगा। मैं कुछ समय पश्चात रिश्वत राशि की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को चला कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि होना पाया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आने के निर्देश देकर रवाना किया गया। दिनांक 13.12.2023 को समय 02.30 पी.एम. पर परिवादी के कथन एवं रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार ट्रेप कार्यवाही दिनांक 13.12.2023 को ही पूर्ण होने की सम्भावना के मध्य नजर श्री मनोज कुमार कानि. 452 को अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बूंदी के नाम एक तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने हेतु रवाना किया गया। समय 03.00 पी.एम. पर श्री मनोज कुमार कानि. 452 दो स्वतंत्र गवाह को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। गवाह पाबन्द की तहरीर को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 04.00 पी.एम. पर सार्वजनिक निर्माण विभाग बून्दी से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। मन् उप अधीक्षक द्वारा गवाहान से नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम मुकेश पुत्र श्री मदन लाल, उम्र 34 साल, जाति तेली निवासी सिलोर, जिला बून्दी हाल कनिष्ठ सहायक, तथा दुसरे ने हरिराम पुत्र श्री रामलाल जाति जाट उम्र 28 साल निवासी राधाकिशनपुरा पोस्ट बगडवा थाना पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बूंदी होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहो को कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। कुछ समय पश्चात परिवादी रामचरण श्रृंगी ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी का परिचय कार्यालय में उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 06.12.2023 को पेष शिकायत प्रार्थना पत्र को गवाहान को पढकर सुनाया, गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक सहमति व्यक्त की।परिवादी श्री रामचरण श्रृंगी पुत्र स्व. श्री महानन्द जी श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी गोयल वाटर सप्लायर के पास गुरूनानक कोलोनी, जिला बून्दी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये मन उप अधीक्षक के समक्ष पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है:-

क्र.स. नोट का विवरण
नोट का नम्बर
1 एक नोट पांच सौ रूपये
1 F M 509808
2 एक नोट पांच सौ रूपये
0 F V 874567
3 एक नोट पांच सौ रूपये
1 E T 040728
4 एक नोट पांच सौ रूपये

9 एक नोट पांच सौ रूपये
5 U H 095907
10 एक नोट पांच सौ रूपये
2 C U 924363
11 एक नोट पांच सौ रूपये
9 G A 694329
12 एक नोट पांच सौ रूपये
6 C T 704899
13 एक नोट पांच सौ रूपये
9 U N 593393
14 एक नोट पांच सौ रूपये
4 T G 854131
15 एक नोट पांच सौ रूपये
5 M E 438053
16 एक नोट पांच सौ रूपये
1 Q E 415493
17 एक नोट पांच सौ रूपये
1 B T 219992
18 एक नोट पांच सौ रूपये
0 N G 140792
19 एक नोट पांच सौ रूपये
6 K W 189032
20 एक नोट पांच सौ रूपये
9 E W 801822

श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि. 474 द्वारा मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी मंगवाकर सभी नोटो पर श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि. 474 से अच्छी तरह से फिनोप्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रामचरण श्रृंगी की जामा तलाशी गवाह श्री हरिराम जाट से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गई।तत्पश्चात परिवादी श्री रामचरण श्रृंगी के कथनों अनुसार ट्रेप कार्यवाही विलम्ब से होने की मौखिक सम्भावना व्यक्त करने के कारण पाउडर लगे नोटों को एक लिफाफे में रखकर मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। एक प्लास्टिक डिस्पोजल के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती टिंकू कवंर महिला कानि. 474 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री रामचरण श्रृंगी व स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोप्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि. 474 से फिनोप्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार एवं प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि. 474 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामील कार्यवाही की गई।परिवादी ने मन् उप अधीक्षक को अवगत कराया कि सुबे सिंह आगे से मेरे पास फोन करेगा तब ही वह मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त करने आयेगा। अभी वो मेरा फोन रिसीव नही कर रहा है। उससे सम्पर्क होने पर मैं आपको सुचित कर दुंगा। मेरे अभी आवश्यक कार्य है मुझे घर जाना है। परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत देकर रवाना किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहों को कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। कुछ समय पश्चात परिवादी ने कानि. राम सिंह को फोन कर बताया कि अभी तक सुबे सिंह का फोन नही आया है। अंधेरा हो गया है आज कार्यवाही सम्भव नही हो पायेगी। सुबे सिंह से सम्पर्क होने पर मैं आपको सुचित कर दुंगा। उक्त सूचना से राम सिंह कानि. द्वारा मुझ उप अधीक्षक को अवगत कराने पर कार्यालय में उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहों को कल दिनांक 14.12.2023 को प्रातः कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर रवाना किया गया।दिनांक 14.12.2023 समय 10.00 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। कुछ समय पश्चात परिवादी रामचरण श्रृंगी ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी तथा आरोपी सुबे सिंह के मध्य दिनांक 08.12.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता

सुबेसिंह के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय सहित कुल 2 रिकार्ड वार्ताओं को परिवादी से ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया था। श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि 416 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटाॅप की मदद से डिजिटल वाईस रिकार्डर व मूल मैंमोरी कार्ड में रिकार्ड दोनों वार्ताओं को पृथक-पृथक तीन पेन ड्राईव में क्लोनिंग की गई। जिसमें से मूल डिजिटल वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिये कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया गया तथा एक क्लोनिंग पेन ड्राईव आरोपी एवं एक क्लोनिंग पेन ड्राईव एफएसएल जांच के लिये कपडे की थैली में अलग-अलग रखकर सील मोहर किया गया तथा एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखा गया। फर्द जप्ती व क्लोनिंग पेन ड्राईव मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई।समय 07.30 पी.एम.पर परिवादी ने बताया कि आज मैनें कई बार सुबे सिंह को फोन से सम्पर्क करना चाहा परन्तु उसने मेरा फोन अटेण्ड नही किया और आज काफी समय हो चुका है। सुबे सिंह का मेरे पास फोन भी नही आया है। इसलिए आज कार्यवाही की सम्भावना नही है। सम्पर्क होने पर मैं आपको सुचित कर दुंगा। परिवादी व गवाहों को बाद कार्यवाही रूखसत किया गया। दिनांक 18.12.2023 समय 04.15 पी.एम. पर परिवादी रामचरण श्रृंगी ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक को बताया कि मैनें थाना कोतवाली बून्दी में जाकर मालूमात किया तो वहाॅ उपस्थित स्टाफ ने बताया कि सुबे सिंह पुलिसकर्मी का स्थानान्तरण हो गया है। अब यदि सुबे सिंह पुलिसकर्मी मुझसे रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत करेगा तो मैं आपको सुचित कर दुंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक समझाईश की जाकर कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 02.01.2024 समय 02.10 पी.एम. पर परिवादी श्री रामचरण श्रृंगी पुत्र स्व. श्री महानन्द जी श्रृंरगी उम्र 57 साल जाति ब्राहमण निवासी गोयल वाटर सप्लायर के पास गुरूनानक कोलोनी जिला बूंदी ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि श्री सुबेसिंह का पुलिसकर्मी पुलिस थाना कोतवाली बून्दी से स्थानान्तरण होने के बाद रिश्वत राशि 10,000/-रूपये के सम्बन्ध में श्री सुबेसिंह का फोन नही आया है। अतः मेरे 10,000/-रूपये लौटाने की कृपा करें। समय 02.17 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री मुकेश व श्री हरिराम से जरिये दूरभाष वार्ता कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया।दोनो स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश हाल कनिष्ठ सहायक व श्री हरिराम हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बूंदी चैकी हाजा उपस्थित आये। परिवादी श्री रामचरण श्रृंगी पुत्र स्व. श्री महानन्द जी श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी गोयल वाटर सप्लायर के पास गुरूनानक कोलोनी, जिला बून्दी द्वारा आरोपी श्री सुबे सिंह, पुलिसकर्मी., थाना कोतवाली, जिला बून्दी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में पेश की गई राशि पांच-पंाच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000/-रूपये श्री रामसिंह कानि 78 द्वारा मालखाना से मंगवाकर नोटों पर लगे फिनोफ्थलीन पाउडर को कपडे से अच्छे तरीके से साफ करवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहों के समक्ष परिवादी श्री रामचरण श्रृंगी को सिपुर्द किये गये। जिसकी फर्द सपुदर्गी नोट पृथक से मुर्तिब कर शामील पत्राली की। बाद कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय से रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 06.12.2023 को परिवादी श्री रामचरण श्रृंगी ने चैकी बून्दी पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि- थाना कोतवाली में दर्ज एफ.आई.आर/मुकदमा नं. 241/2023 में एक सरकारी शिक्षक लिखा होने से मुझ प्रार्थी को विगत 03 माह से थाना कोतवाली में कार्यरत जांच अधिकारी का रीडर श्री सुबे सिंह द्वारा मुझे बार बार थाने में बुलाकर डराया धमकाया गया गिरफ्तारी का डर बताकर मुझे उन्होने मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता रहा है तथा मेरा इस प्रकरण से नाम हटाने की एवज में 25000/-पच्चीस हजार रूपये की राशि वो पहले ही ले चुका है। अब इस मुकदमें बाबत थाने से मेरे बेकसूर होने का प्रमाण पत्र देने बाबत मुझसे लगभग दस हजार रूपये 10,000/-रू. और मांगे जाने हेतु वह व्यक्ति मुझे कभी भी फोन कर सकता है जबकि मैं चाहता हूॅ कि वह पुलिसकर्मी श्री सुबे सिंह रिश्वत की राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार हो।

परिवादी ने पूछताछ पर बताया कि मुझे थाना कोतवाली बून्दी पर दर्ज प्रकरण संख्या 241/23 में जांच अधिकारी का रीडर सुबे सिंह द्वारा मुलजिम बनाने की धमकी देकर काफी प्रताड़ित किया गया एवं मेरे घर पर जाकर मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। जबकि मेरा उक्त प्रकरण में कोई लेना देना नही है। कुछ दिन पहले मुझे सुबे सिंह द्वारा थाना कोतवाली बून्दी बुलाया गया एवं कोतवाली के पीछे के रोड़ से पुलिस लाईन बून्दी के एटीएम पर ले जाकर मुझसे पच्चीस हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त कर लिये एवं इसके बाद भी दस हजार रूपये और रिश्वत की मांग कर रहा है, कानूनी कार्यवाही करें। ''

उपरोक्त लिखित शिकायत में अंकित तथ्यों एवं पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिधी में आना पाया जाने पर दिनांक 08.12.2023 एवं 13.12.2023 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी सुबेसिंह हैडकानि. रीडर पुलिस थाना कोतवाली बून्दी द्वारा परिवादी रामचरण श्रृंगी से थाना कोतवाली बून्दी पर दर्ज प्रकरण संख्या 241/2023 में आरोपी नही बनाने की एवज में 10,000/-रूपये रिश्वत मांग करने की पुष्टि हुई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.12.2023 व 13.12.2023 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। अब तक की कार्यवाही एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.12.2023 एवं 13.12.2023 के आधार पर आरोपी श्री सुबेसिंह हैडकानि. 772 पुलिस थाना कोतवाली बून्दी के विरूद्व परिवादी श्री रामचरण श्रृं\गी से थाना कोतवाली बून्दी पर दर्ज

241/2023 में बतौर मुलजिम नाम हटाने की एवज में 10,000/-रूपये रिश्वत की मांग करना प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री सुबे सिंह पुत्र श्री महीपाल यादव निवासी मानपुरा पो. कलाजरी, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झूनू तत्कालीन हैडकानि. 772 पुलिस थाना कोतवाली बून्दी हाल पुलिस दूरसंचार केन्द्र जिला बून्दी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो मुख्यालय जयपुर की सेवामें प्रेेषित है। ज्ञानचन्द) पुलिस उप अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बून्दी.....कार्यवाही पुलिस....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बूंदी ने जरिये ईमेल प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री सुबे सिंह पुत्र श्री महीपाल यादव, तत्कालीन हैड कानि. नम्बर 772, पुलिस थाना कोतवाली बून्दी हाल दूरसंचार केन्द्र जिला बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 26/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान श्री हरिश भारती, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता की गई है उक्त की रोजनामचा आम रपट 156 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।क्रमांकः- 131-34 दिनांकः- 13.02.2024प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2.पुलिस अधीक्षक, बूंदी। 3.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** harish bharti **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/02/2024 15:25:44

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	25/08/1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)